मै0 खजानी देवी इन्फ्रासिटी लिमिटेड, द्वारा प्रस्तावित सेन्डस्टोन माइन्स, (खनन पट्टा संख्या 01/2021 प्लॉट संख्या 41, क्षेत्रफल 04.00 हैक्टेयर), निकट ग्राम– सनौरा, तहसील – बाड़ी, जिला – धौलपुर, (राजस्थान) की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता 1,20,000 (आर.ओ.एम) टन प्रतिवर्ष एवं कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 12.00 हैक्टेयर (क्लस्टर में कुल तीन खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के संबध में आयोजित जन सुनवाई दिनांक 07.02.2023 का कार्यवृत्त विवरण (मिनिट्स)।

भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव ऑकलन अधिसूचना, क्रमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.06 तथा यथा संशोधित दिसम्बर 2009 एवं Office Memorandum No. J-11015/387/2008-I A,11 (m) dated 28th Sep. 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत मै0 खजानी देवी इन्फासिटी लिमिटेड, द्वारा प्रस्तावित सेन्डस्टोन माइन्स, (खनन पट्टा संख्या 01/2021 प्लॉट संख्या 41, क्षेत्रफल 04.00 हैक्टेयर), निकट ग्राम– सनौरा, तहसील -- बाड़ी, जिला -- धौलपुर, (राजस्थान) की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता 1,20,000 (आर ओ.एम) टन प्रतिवर्ष एवं कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 12.00 हैक्टेयर (क्लस्टर में कुल तीन खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के संबध में श्री मुकेश कुमार मीणा, कार्यवाहक उपखण्ड अधिकारी, बसेडी (जिला कलक्टर, धौलपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में दिनांक 07.02.2023 को प्रातः 11.00 बजे ग्राम पंचायत मुख्यालय-- सनौरा, तहसील – बाड़ी, जिला – धौलपुर (राजस्थान) में जन सुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में श्री राधे श्याम मीणा, उपखण्ड अधिकारी, बाडी तथा श्री मुकेश मंगल, खनि अभियन्ता (खान और भूविज्ञान विभाग) भी उपस्थित रहें।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट-- 'क' पर संलग्न है। जन सुनवाई बावत विज्ञप्ति दिनांक 05.01.2023 को मॉर्निंग न्यूज तथा 06.01.2023 को ईवनिंग प्लस, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई गयी थी जिसकी प्रतियां परिशिष्ट-- 'ख' पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुयें श्री विवेक गोयल, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा उपस्थित सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत जन सुनवाई की आवश्यकता/प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया कि यह जनसुनवाई, मै0 खजानी देवी इन्फासिटी लिमिटेड, द्वारा प्रस्तावित सेन्डस्टोन माइन्स, (खनन पट्टा संख्या 01/2021 प्लॉट संख्या 41, क्षेत्रफल 04.00 हैक्टेयर), निकट ग्राम– सनौरा, तहसील -- बाडी, जिला – धौलपुर, (राजस्थान) की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता 1,20,000 (आर.ओ.एम) टन प्रतिवर्ष एवं कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 12.00 हैक्टेयर (क्लस्टर में कूल तीन खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है।

Scanned with CamScanner

श्री विवेक गोयल ने उपखण्ड अधिकारी, बसेडी (धौलपुर) एवं पधारे हुये समस्त ग्रामवासियों का अभिनंदन किया एवं जनसुनवाई की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जनसुनवाई मे प्रस्तावित परियोजना के बारे में जनचेतना का विकास एवं संचार होता है साथ ही परियोजना से पर्यावरण के संरक्षण संबंधित जनमानस की सोच एवं सुझाव उपलब्ध हो जाते है। श्री विवेक गोयल ने बताया कि इस बैठक में उपस्थित जन, मौखिक एवं लिखित रूप से अपनी आपत्तियां, सुझाव अथवा राय दे सकते है।

तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी, बसेडी की अनुमति से इकाई के तकनीकी परामर्शदाता श्री [illegible] कुमार शर्मा द्वारा खनन परियोजना एवं खनन कार्य के पर्यावरणीय प्रभाव का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया एवं पर्यावरण प्रभाव आंकलन के सारांश के बारे में बताते हुए स्पष्ट किया कि पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को ध्यान मे रखते हुए खदान परियोजना प्रस्तावक द्वारा किस प्रकार परियोजना का विकास किया जायेगा।

तदउपरांत क्षेत्रीय अधिकारी भरतपुर द्वारा पधारे गये लोगों से उक्त खनन परियोजना एवं पर्यावरण पर पडने वाले प्रभाव के संबंध में सुझाव/आपत्ति/राय व्यक्त करने/प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है,

सर्वप्रथम ग्राम सरपंच श्री रिंकू जी, निवासी ग्राम सनौरा व तहसील बाडी, जिला धौलपुर द्वारा बताया गया कि परियोजना ग्राम पंचायत सनौरा की आबादी क्षेत्र से दूर, राजस्व ग्राम कांकरई में प्रस्तावित है तथा उन्होंने आपत्ति जाहिर किया कि प्रस्तावित परियोजना स्थल के समीपवर्ती खातेदारों को परियोजना से संबंधित सूचना नहीं दी गयी हैं।

इसके प्रत्युत्तर में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परियोजना से संबंधित सभी ग्रामवासियों को आवश्यक सूचना दी जा चुकी हैं।

तत्पश्चात् श्री मनोज कुमार मीणा जी, निवासी ग्राम मुंडपुरा व तहसील बाडी जिला धौलपुर ने बताया कि वह प्रस्तावित परियोजना स्थल के निकट के ग्रामवासी है, तथा प्रस्तावित स्थल के निकट मे पहले से स्थापित खदानों से ग्रामवासी लाभान्वित हो रहे है, और इस परियोजना से भी स्थानीय रोजगार के अवसर सृजन होंगे तथा निर्धन ग्रामवासियों को आजीविका का विकल्प मिलेगा।

तत्पश्चात् श्री मुकेश मंगल, खनि अभियन्ता (खान और भूविज्ञान विभाग) द्वारा आश्वस्त किया गया कि खनन परियोजना वैज्ञानिक पद्धति द्वारा की जायेगी।

तदुपरांत कार्यवाही को आगे बढाते हुए उपखण्ड अधिकारी, बसेडी ने समीक्षात्मक उद्बोधन एवं धन्यवाद व्यक्त करते हुये बैठक मे उपस्थित जन को आश्वस्त किया उनके द्वारा रखे गये विचार रिकॉर्ड किये गये हैं। आपके विचार व सुझाव/आपत्तियॉं सभी सम्मिलित कर संबंधितों को भेजी जायेगी, जिस पर समग्र बिन्दुओं पर विचारोपरांत ही खदान को पर्यावरण स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा।

Scanned with CamScanner

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भरतपुर तथा उपखण्ड अधिकारी, बरोडी ने पुनः आमजन से आग्रह किया कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस परियोजना के बारे में सुझाव या शिकायत हो तो बैठक को अवगत करायें। अंत में क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भरतपुर द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद के साथ श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, बरोडी की अनुमति से पर्यावरणीय लोकसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(विवेक गोयल)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा. प्र.नि.मं., भरतपुर (राज.)

(मुकेश कुमार [illegible])
कार्यवाहक उपखण्ड अधिकारी, बरोडी,
जिला–धौलपुर (राज.)

Scanned with CamScanner